तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२.५.18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी स्वयं प्रार्थी स्वयं उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार तलब की गयी एवं शामिल पत्रावली की गयी। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी की ग्राम चैनपुरा स्थित खातेदारी भूमि ख.स. २०६ व २०७ में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.स. २११ व ५४५ की मेढ़ से होकर लघुतम रास्ता उपलब्ध है प्रार्थी द्वारा ५२२ व ५४५ के मध्य मेढ़ पर से चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता नहीं है। प्रार्थी को तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट मौके व रिकॉर्ड (राजस्व) के माध्यम से समझाई गयी जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार निस्तारण करने की शर्तों पर उक्त संदर्भित प्रार्थना पत्र वापस लेने की सहमति प्रस्तुत की गयी। अतः रिपोर्ट तहसीलदार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सहमति प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण सशर्त निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख.स. २०६ व २०७ में आने जाने के लिए ख.स. २११ व ५४५ के मध्य स्थित मेढ़ से रास्ता निकलवाने और रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने व अप्रार्थी को तामील होने के तीस दिवस में प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार करेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्जन से कम हो उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा	नि० शंकर जरिये